

12-3-2020

17100

Department of Ayurveda
District Ayurvedic Officer, District Sirmour at Nahan (HP)
Email ID: sirmourdao@gmail.com Telefax: 1702-222567
No. Ayur/Nahan /Diet/Hosp/16- 705-711 Dated Nahan: 25/2/2020

"TENDER NOTICE"

Sealed tenders are invited for the prepared/cooked food by the District Ayurvedic Officer, Nahan for the **INDOOR PATIENTS OF DISTRICT AYURVEDIC HOSPITAL, Nahan FOR THE YEAR 2020-21 (01-04-2020 TO 31-03-2021)** or from the date of approval of the competent authority so as to reach in this office on or **before 30.03.2020 by 02.00 PM Sharp** and the tenders will be **opened on 30.03.2020 at 03.00 PM** in the presence of the Tenderers or their authorized representatives who wish to be present during the process of opening of these Tenders.

No by hand tenders will be accepted. The tenders received late due to postal delay will not be entertained. The detailed terms & conditions scheduled/tender form and list of cooked food items relating to the contract of supply of cooked diet to 20 Bedded Distt. Ayurvedic Hospital, Nahan (keeping in view of the intake capacity) can be had separately from the Distt. Ayurvedic Office, Nahan on payment of **Rs. 500/- (Rs. Five hundred)** only on any working day **from 10.00 AM to 04.00 PM till 26-03-2020**. The tender documents must accompany the requisite earnest money of worth **Rs. 10,000/- (Rs. Ten thousand)** only in the shape of demand draft /FDR on any scheduled bank drawn/pledge in favour of Distt. Ayurvedic Officer, Nahan (HP).

The tenders will be **opened 30-03-2020 at 03.00 PM** by the committee constituted for the purpose in the office of Distt. Ayurvedic Officer, Distt. Sirmour at Nahan in the presence of tenders or their representatives present on that occasion. The District Ayurvedic Officer, Nahan will have full right to reject or accept any or all tenders without assigning any reason. In case there happen to be the holiday on the date fixed for opening of the tenders, the next working day on the same time shall be deemed to be fixed for this purpose.

Yadvender
22-02-2020
(Dr. Yadvender Singh)
District Ayurvedic Officer,
District Sirmour at Nahan (HP).

..2/..

Endst. No. As above 705-711

Dated Nahan: 25/08/2020

Copy to:-

1. The Director, Public Relations Department, H.P. Shimla-171002 alongwith 5 sapare copies of the tenders notice for information and with the request that tender notice may kindly be got published in the prominent Hindi/English news papers well in time & the dated of publication may kindly be intimated to this office.
2. The Director of Ayurvēda, Himachal Pradesh, Shimla-9 for information & with the request to upload the tender document on the departmental website.
3. The Deputy Commissioner, Sirmour at Nahan for information.
4. The SDM (Civil), Nahan for information.
5. The Distt. Public Relation Officer, Nahan for information & wide publicity.
6. Senior Ayurvedic Medical Officer, DAH Nahan for information.
7. Notice board of this Hospital.

Yadvender
25-8-2020

(Dr. Yadvender Singh)

District Ayurvedic Officer,
District Sirmour at Nahan (HP).

Tender form issued to
(Name & Complete Address) _____

Cost Rs. 500/- (Non Refundable) _____

Received vide RKS Receipt No.....Dated.....

Date, Time & Venue of opening of tenders: 30th March, 2020 at 3.00 P.M.

District Ayurvedic Office, Sirmour at Nahan

Earnest Money Rs. 10,000/- only D.D.No Dated.....

Name of Bank.....

जिला सिरमौर हि0 प्र0 के जिला आयुर्वेद आतुरालय, नाहन के लिए वर्ष 2020-21 (01-04-2020 से या अधिकृत/सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन की तिथि से 31-03-2021 तक की अवधि के लिए पके हुए भोजन की आपूर्ति एवम् वितरण के कार्य को ठेके पर देने हेतु नियम व शर्त :-

जिला आयुर्वेदिक आतुरालय नाहन में भर्ती रोगियों के लिए तैयार भोजन की आपूर्ति व भर्ती रोगियों को वितरण कार्य को वर्ष 2020-2021 (01-04-2020 से या अधिकृत/सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन तिथि 01-04-2020 से 31-03-2021 तक की अवधि के लिए ठेके पर दिया जाना है जिसके लिए इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या आयु0/नाहन/डाईट/आतुरालय/16-705-11 दिनांक 25/2/20 के द्वारा निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं। इस ठेके हेतु निविदाएं दिनांक 30.03.2020 को दोपहर 02.00 बजे तक सीलबन्द लिफाफे में डाक द्वारा जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय नाहन में पहुंच जानी चाहिए। निविदा को दो भागों में भरा जाये:-

(A) Pre qualification Bid

(B) Financial Bid

उपरोक्त दोनों बीड/बोली अलग-अलग सील बन्द लिफाफे में जिसके उपरं Pre qualification Bid एवम् Financial bid लिखा हो को एक लिफाफे में डालकर तथा लिफाफे के उपर (आयुर्वेदिक अस्पताल नाहन में पके हुए आहार की आपूर्ति के लिए निविदा लिखा होना चाहिए। डाक विभाग के कारण देरी से प्राप्त हुई निविदाएं मान्य नहीं होंगी।

जिला आयुर्वेदिक आतुरालय, नाहन के लिए निविदा फार्म इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस की सुबह 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक दिनांक 26.03.2020 तक रू0 500/- (रू0 पांच सौ रुपये केवल) प्रति निविदा फार्म की दर से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदाएं इस कार्य के लिए गठित समिति के द्वारा दिनांक 30.03.2020 साय: 3.00 बजे निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों जो उपस्थित होना चाहते हैं कि उपस्थिति में जिला आयुर्वेद अधिकारी, नाहन के कार्यालय में खोली जाएंगी।

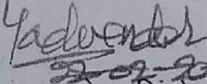
यदि निविदाएं खोलने की तिथि को सरकारी अवकाश घोषित होता है तो निविदाएं आगामी कार्य दिवस को उसी समय पर खोली जाएंगी। जिला आयुर्वेद अधिकारी, नाहन के पास बिना कोई कारण बताए कोई भी या सभी निविदाएं रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा। ठेके की नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं :-

नियम एवं शर्तों की कम संख्या 1 से 16 तक :-

1. निविदादाताओं को निविदा फार्म केवल डाक द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त करवानी होगी जिसका डाक खर्च सम्बन्धित फर्म को स्वयं ही वहन करना होगा।
2. जिला आयुर्वेद आतुरालय, नाहन के लिए अग्रिम राशी रुपये 10,000 (रू0 दस हजार केवल) डिमांड ड्राफ्ट/एफ. डी. आर. के रूप में जोकि जिला आयुर्वेद अधिकारी, नाहन के पक्ष में बन्धक/प्लेज हो निविदा के साथ संलग्न होनी चाहिये। अग्रिम राशी के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नहीं होगी। ठेका स्वीकार होने की दशा में यदि

- सम्बन्धित निविदादाता कार्य शुरू करने में असफल रहता है या मना करता है तो उसकी धरोहर राशी जब्त कर ली जाएगी ।
3. ठेके की समयावधि कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 01/04/2020 से या अधिकृत/सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से 31/03/2021 तक होगी । निविदादाता को आयुर्वेद चिकित्सालय, नाहन में संलग्न सूचि में सूचिबद्ध आहारों को चिकित्सक के परामर्श अनुसार ही आपूर्ति एवम् वितरित करना होगा ।
 4. ठेकेदार को पके खाने/भोजन की आपूर्ति हेतु अस्पताल के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी से प्रतिदिन मांग पत्र प्राप्त करना होगा और उसके अनुसार उत्तम गुणवत्ता का पका हुआ ताजा एवं गर्म भोजन प्रतिदिन अस्पताल के चिकित्सक द्वारा अधिकृत पात्र अन्तरंग रोगीयों को वितरित करना होगा ।
 5. ठेकेदार मांग पत्र में स्वेच्छा से किसी भी प्रकार का कोई भी फेरबदल नहीं करेगा यदि ठेकेदार द्वारा पके हुए भोजन की आपूर्ति में कोई भी अनियमितता जैसे खाने का घटिया/बासी इत्यादि होना पाया गया तो उसके बिल में से उन मदों में से कम से कम एक सप्ताह की कटौती कर दी जाएगी । इस प्रकार यदि ठेकेदार चिकित्सालय में पके हुए भोजन की आपूर्ति में बार-बार असंतोषजनक कार्य करता है तो विभाग द्वारा ठेकेदार को दो महीने का नोटिस जारी करते हुए अनुबन्ध को समाप्त करने का पूरा अधिकार होगा । इस मामले में विभाग का निर्णय ठेकेदार के लिए अन्तिम तथा मान्य होगा । इसी प्रकार यदि ठेकेदार ठेके की अवधि के बीच में ठेका/कार्य को छोड़ना चाहता है तो उसे इस आशय का नोटिस जिला आयुर्वेद अधिकारी के कार्यालय, नाहन में प्रयाप्त समय पहले देना होगा जोकि कम से कम साठ दिन पूर्व जिला आयुर्वेद अधिकारी, नाहन के कार्यालय में अवश्य पहुंचना चाहिये ताकि पका हुआ खाना/भोजन की आपूर्ति के कार्य की वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके अन्यथा ठेकेदार द्वारा देय जमानत की पूरी राशी तथा एक महीने के पके हुए खाने की आपूर्ति बिल की पूरी राशी जब्त कर ली जाएगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार को आगामी तीन वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है ।
 6. विभाग की लिखित सहमति के बिना ठेकेदार भविष्य में इस अनुबंध के अन्तर्गत दिए गये अधिकारों की कमी भी किसी दूसरे पक्ष को हस्तान्तरित या सब लैट नहीं करेगा ।
 7. जिस ठेकेदार के पक्ष में ठेका स्वीकृत होगा उसे सम्बन्धित अस्पताल का ठेका सुचारु रूप से चलाने के लिए जमानत राशी रुपये 10,000/- (रु0 दस हजार रुपये केवल) जिला आयुर्वेद अधिकारी, नाहन के नाम एफ0 डी0 आर0 के रूप में बन्धक करवानी होगी जिसको ठेका सफलता पूर्वक समाप्त होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा ।
 8. निविदा हेतु जमा कारवाई गई अग्रिम राशी ठेकेदार/फर्मों को निविदा स्वीकार होने से पूर्व लौटाई नहीं जाएगी ।
 9. ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार को न्यायिक पत्र पर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख (Agreement) प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा पके हुए खाने/भोजन की आपूर्ति का कार्य नियत शर्तों के अनुसार किया जाएगा जोकि (Agreement) का ही हिस्सा होगा । जब तक ठेकेदार प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित शपथ पत्र (Agreement) प्रस्तुत नहीं करेगा उसके किसी भी बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
 10. ठेके की अवधि के दौरान यदि कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, नाहन के नियन्त्रण से बाहर के किन्हीं कारणों से ठेकेदार के बिलों के भुगतान में विलम्ब होता है तो ठेकेदार को ठेके का पालन /कार्यान्वयन जारी रखना होगा तथा कार्य को रोकने का कोई नोटिस नहीं देना होगा । ठेकेदार को भोजन की आपूर्ति के बिलों का भुगतान बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।
 11. निविदादाता को रेस्टोरेंट/होटल/चलाने से सम्बन्धित पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य होगा । इस आशय से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न होना चाहिए संलग्न ना होने की अवस्था में निविदा/निविदाओं को सीधे रूप में समिति द्वारा अस्वीकार किया जाएगा जाएगा ।
 12. यदि किसी प्रशासनिक कारणों से सम्बन्धित अस्पताल के लिए अगली अवधि 01-04-2021 से 31-03-2022 तक के ठेके को दिनांक 31-03-2021 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया तो ठेकेदारों को इन्हीं नियमों एवं शर्तों पर आगामी ठेके को अन्तिम रूप दिए जाने की तिथि तक पूर्व में निर्धारित दरों पर पके हुए खाने/भोजन की आपूर्ति के कार्य जारी रखना होगा ।
 13. सफल निविदादाता को खाना पकाने हेतु अस्पताल की रसोई के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी एवं निविदादाता को भोजन अपने ही स्तर पर तैयार करके रोगियों को

- उनके बिस्तर पर गर्म अवस्था में उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा । भोजन स्वच्छ एवं कुशल कुक द्वारा तैयार किया जाना अनिवार्य है ।
14. यदि ठेकेदार के द्वारा दिए गए दूषित भोजन से रोगी के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर पड़ता है तो ठेकेदार ही रोगी को उचित मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा एवं उसका अनुबन्ध भी रद्द किया जा सकता है ।
15. यदि ठेकेदार का कार्य जिसमें भोजन की उच्च गुणवत्ता, सफाई व समय पर रोगियों को उपलब्ध करवाया गया हो तो इन्हीं नियम, शर्तों व दरों पर ठेके को आगामी तीन वर्षों तक भी बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा । इस सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम होगा ।
16. निविदादाता को पेन कार्ड एवं जी0 एस0 टी0 की प्रति सलंगन करना अनिवार्य होगा


22-09-2020

(डा0 यादवेन्द्र सिंह)
जिला आयुर्वेद अधिकारी,
जिला सिरमौर स्थित नाहन ।

ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य:

मैं उपरोक्त सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ:

ठेकेदार का नाम
ठेकेदार के हस्ताक्षर दिनांक सहित:-

FINANCIAL BID
(IN sealed cover-II super scribed 'Financial Bid')
**Quotation for providing of Cooked diet to the patients of
District Ayurvedic Hospital, Nahan, District Sirmour(HP).**

List of Diet articles in r/o District Ayurvedic Hospital, Nahan for the year 2020-21

Sr. No.	Name of Diet	Rates	Tax/GST if any	G. Total
01	Diet No. 1 Boiled milk with sugar 1400 ml x 90gms			
02	Diet No.2 Milk 750 ml, Ata Bread/Dalia 4 piece, 25 gms butter, 30 gms Sugar			
03	Diet No. 3 Chapati, Rice, Seasonal Vegetable, Dal nay one Moong (Chilka) Masoor, Malka, Dal+Palak & Chana one Katori Each			
04	Diet No. 4 One plate Khichari (Dal Moong) with 150 gms curd			
05	Diet No.5 Breakfast:-Ata Bread 4 cake, 20gms Butter and 200gms Milk Sugar mixed except Diabetic Patients			
06	Diet No. 6 Dalia 200 gms			
07	Tea (Each Cup)			
08	Special Diet Prepared paneer 100 gms (Cooked) once in a week OR Kheer (Once in a week) only for those patients who are allowed to take.			
	Consolidated diet rate			

Declaration by the Bidder

This is to certify that I have read & fully understand all the terms & conditions contained herein before signing this tender and undertakes myself to abide by them.

(Signature of Tenderer)

Name :

Address

Phone No/Fax No..

Mobile No.

Technical Bid

(A) (IN sealed cover.] super scribed 'Pre qualification Bid)
Quotation for providing cooked diet to the patient of District
Ayurvedic Hospital, Nahan, District Sirmour (HP) for 2020-21.

Check list whether the attested copies of the following documents have been
attached or not.

Sr.No.	Particulars	Yes	No
01	PAN NO. (Copy Attached)		
02	Receipt of Tender Fee		
03	Experience Certificate/License		
04	Earnest money attached or not		
05	Tender form duly signed.		
06	Copy of GST No.		

Undertaking/ Declaration by the Bidder

This is to certify that I have read & fully understand all the terms & conditions contained herein before signing this tender and undertakes myself to abide by them.

(Signature of Tenderer)

Name :

Address

Phone No/Fax No..

Mobile No.